भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई में पशु पर्यवेक्षक के पद के लिए मसौदा भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए बी. 14017/61/2008- स्थापना (आर आर) के अनुपालन में बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई में पशु पर्यवेक्षक के पद के भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है ।

हितधारक, जो भर्ती नियम के मसौदे पर कोई आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देना चाहते हैं, वे स्वरूपा सरण, उप निदेशक (ईपीआई), कमरा सं. 647, 'क' विंग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को भर्ती नियम के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव लिखित रूप मे देते हुए उसकी एक सॉफ्ट प्रति epidghs@gmail.com को भेज सकते हैं।

स्वरूपा

(स्वरूपा सरण)
उप निदेशक

नई दिल्ली

दिनांक

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2019

सा.का.नि.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में पशु पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, पशु पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
पशु पर्यवेक्षक	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा सम आदेशों के अनुसार सरक शिथिल की जा सकती है) आयु-सीमा अवधारित क अभ्यर्थियो से आवेदन प्राप्ति (न कि वह अंतिम तारिख मिजोरम, मणिपुर, नाग राज्य के लद्दाख खंड, हि तथा चम्बा जिले के पांगी उ और लक्षद्वीप के अभ्यर्थिय

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : ... प्रतिनियुक्ति/आमे... द्वारा भरी जाने वा...**
(7)	(8)	(9)	
आवश्यक : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीव विज्ञान विषय के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) सीपीसीएसईए से मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से पशु सुविधा के रखरखाव का एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीय**: मान्यता प्राप्त संस्थान से पशुपालन में डिप्लोमा। **<u>टिप्पण</u>**: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जि... द्वारा, दोनों के न... द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो संरचना।
(11)	(12)
प्रोन्नति: वैज्ञानिक सहायक जिन्होने श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कमतर न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीगण: (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर लेवल-4 अथवा समकक्ष में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव धारण करते हों। **टिप्पण** 1: पोषक श्रेणी के विभागीय अधिकारीगण जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण** 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** 3: प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रोन्नति/संपुष्टि पर विचार करने हेतु 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिस निम्नलिखित होंगे: (i) निदेशक, बीसीजीवीएल, च अध्यक्ष (ii) प्रशासनिक अधिकारी, बीसीजीवीएल : सदस्य (iii) पशु चिकित्सक, बीसीजीवीए चेन्नई : सदस्य (iv) केन्द्रीय/राज्य सरकार के राजप अधिकारी : सदस्य

(सं.ए.12018/09/2017-ईपीआई)

(वंदना चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार